उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2235472
Fax No. : 0522-2236716
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 14518 एम०टी०/ 60 एम०टी०/2020 दिनांक 2/12/2020

कार्यालय–ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग में स्टोर के माध्यम से बिटुमिन तथा आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री क्रय कर शिड्यूल–'सी' के प्राविधानुसार ठेकेदारों को खण्ड के अवर अभियन्ता के माध्यम से कार्य की आवश्यकतानुसार निर्गत की जाती है। स्टोर के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री की निर्गमन दर सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्गमन दर में सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त स्टोर के सामग्री के पर्यवेक्षण, भण्डारण, स्टोर हैण्डलिंग चार्ज एवं आकस्मिकता आदि पर आने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है।

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग में अलग–अलग खण्डों द्वारा स्टोर की सामग्री पर स्टोर हैण्डलिंग चार्ज अलग–अलग तरीके से लगाते हुए स्टोर की सामग्री का निर्गमन दर निर्धारित की जाती है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से स्टाक लेखे में लाभ प्रदर्शित होता है, तथा इसके दुरूपयोग की भी सम्भावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त स्टाक लेखे में लाभ की दशा में स्टाक लेखा फार्म–73 में अवशेष आंकिक रूप से ऋणात्मक प्रदर्शित होने की दशा में महालेखाकार कार्यालय द्वारा मासिक लेखों में आपत्ति की जाती है।

उल्लेखनीय है कि खण्डीय स्टोर की सामग्री की निर्गमन दर जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया वित्तीय हस्त–पुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर–216 में निर्धारित है। उक्त प्राविधानों के अनुसार सामग्री की निर्गमन दर निर्धारित करते समय मूलतः स्टोर लेखे का No Profit/No Loss का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए।

फाइनेन्सियल हैण्डबुक भाग–6 के प्रस्तर–216, सीमित बजट व्यवस्था तथा स्टोर की सामग्री की निर्गत दर में स्टोर हैण्डलिंग चार्ज में एकरूपता लाने के दृष्टिगत एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि सामान्यतः स्टोर निर्गत दर में स्टोर हैण्डलिंग चार्ज सामग्री के मूल्य (मूल दर, जी0एस0टी0 ढुलाई सहित) का डेढ़ प्रतिशत या रू0–500(एकमुश्त) प्रति यूनिट जो भी कम हो, लगाया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त सीमा से अधिक हैण्डलिंग चार्जेज लगाये जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस पर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्णय लेते हुए समुचित हैण्डलिंग चार्जेज की दर निर्धारित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

अतः निर्देशित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार ही सामग्री की निर्गमन दर निर्धारित की जायें एवं किसी भी स्थिति में स्टाक लेखे में होने वाले लाभ का नियमों के विपरीत दुरूपयोग न किया जाये।

ह0/-

(राजपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प एवं नियोजन), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 **(ई-मेल द्वारा)।**
8- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 **(ई-मेल द्वारा)।**
9- गार्ड फाइल हेतु।

07.12.2020

प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

Scanned with CamScanner